



डजिटल लेंडिंग को वनियमिति करने के लिये दशिया-नरिदेश

प्रलिमिंस के लिये:

भारतीय रजिस्त्र बैंक, डजिटल ऋण, आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना

मेन्स के लिये:

डजिटल ऋण से संबंधित चिंताएँ और इस दशिया में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, [भारतीय रजिस्त्र बैंक \(RBI\)](#) ने कुछ संस्थाओं द्वारा की जा रही अवैध गतिविधियों को वनियमिति करने के लिये डजिटल ऋण देने के दशियानरिदेशों का पहला सेट जारी किया।

- इस प्रकार की चिंताओं को दूर करने के लिये, आरबीआई ने जनवरी, 2021 में 'ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से उधार देने सहित [डजिटल उधार \(WGDL\) पर एक कार्य समूह](#) का गठन किया था।
- समूह ने नवंबर 2021 में [डजिटल ऋणदाताओं के लिये कड़े मानदंड प्रस्तावित किये](#), जिनमें से कुछ को स्वीकार कर लिया गया और नये मानदंडों में शामिल कर लिया गया है जबकि अन्य जाँच के अधीन हैं।

डजिटल ऋण:

- **परिचय:**
 - इसमें प्रमाणीकरण और क्रेडिट मूल्यांकन के लिये तकनीक का लाभ उठाकर **वेब प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप के माध्यम से उधार देना** शामिल है।
 - बैंकों ने पारंपरिक उधार में मौजूदा कठमताओं का लाभ उठाने के बाद डजिटल ऋण बाज़ार में प्रवेश करने के लिये अपने स्वतंत्र डजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म लॉन्च किये हैं।
- **महत्त्व:**
 - **वित्तीय समावेशन:** यह भारत में लघु उद्योग और कम आय वाले उपभोक्ताओं की व्यापक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है।
 - **अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण में कमी:** उधार लेने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाकर यह अनौपचारिक क्षेत्र से लिये जाने वाले ऋण को कम करने में मदद करता है।
 - **कम समय:** यह बैंकों में जाकर पारंपरिक माध्यम से ऋण लेने में लगने वाले समय को कम करता है। इसके कारण 30-35 प्रतिशत अतिरिक्त लागत को बचाया जा सकता है।

दशिया-नरिदेशों की मुख्य वशिषताएँ

- **ऋण वितरण और चुकौती के लिये:**
 - सभी ऋण संवितरण और पुनर्भुगतान केवल उधारकर्ता के बैंक खातों और वनियमिति संस्थाओं (RE) के बीच उधार सेवा प्रदाताओं (LSP) या किसी तीसरी पार्टी के पास-थ्रू/पूल खाते के बिना नषिपादित किये जाने की आवश्यकता है।
 - वनियमिति संस्थाओं में एक बैंक या एक गैर-बैंक वित्तीय कंपनी शामिल है।
- **भुगतान के संबंध में:**
 - नए नयियों में कहा गया है कि क्रेडिट मध्यस्थता प्रक्रिया में LSP को देय शुल्क या शुल्क का भुगतान सीधे बैंक या [गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों \(NBFC\)](#) द्वारा किया जाएगा, न कि उधारकर्ता द्वारा।

- **ऋण प्रकटीकरण के संबंध में:**
 - उधारकर्त्ताओं को वार्षिक प्रतशित दर (APR) के रूप में डजिटल ऋणों की समावेशी लागत का खुलासा करना आवश्यक है।
- **क्रेडिट /ऋण सीमा में वृद्धि के संबंध में:**
 - नया मानदंड उधारकर्त्ता की स्पष्ट सहमति के बिना क्रेडिट सीमा में किसी भी स्वचालित वृद्धि को प्रतबंधित करता है।
- **डजिटल ऋण से बाहर निकलने के संबंध में:**
 - यह ऋण अनुबंध के हिससे के रूप में कूलिंग-ऑफ/लुक-अप अवधि भी प्रदान करता है, जिसके दौरान उधारकर्त्ता बिना किसी शुल्क के मूलधन और आनुपातिक वार्षिक प्रतशित दर का भुगतान करके डजिटल ऋण से बाहर निकल सकते हैं।
- **डेटा गोपनीयता की रक्षा हेतु:**
 - डेटा गोपनीयता की रक्षा के लिये डजिटल लेंडिंग ऐप्स द्वारा एकत्र किये गए डेटा को ग्राहक की पूर्व सहमति से आवश्यकता-आधारित होना चाहिये और यदि आवश्यक हो तो इसका ऑडिट किया जा सकता है।
- **शिकायत नविवरण अधिकारी:**
 - बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके और उनके द्वारा नियुक्त LSPs के पास [फनिटेक- या डजिटल ऋण](#) संबंधी शिकायतों से निपटने के लिये उपयुक्त नोडल शिकायत नविवरण अधिकारी होना चाहिये।
 - यह अधिकारी अपने संबंधित **डजिटल लेंडिंग ऐप्स (DLA) के खिलाफ शिकायतों से भी निपटेगा।**
 - वर्तमान दिशानर्देश उधारकर्त्ता को RBI की [एकीकृत लोकपाल योजना](#) में शिकायत करने की अनुमति देते हैं यदि बैंक द्वारा 30 दिनों के भीतर उनकी शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है।
- **ऋण की रपिपोर्टिंग:**
 - वनियमिती संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि DLAs के माध्यम से किये गए किसी भी उधार को [क्रेडिट सूचना कंपनियों \(CIC\)](#) को सूचित किया जाना चाहिये, चाहे इसकी प्रकृति या अवधि कुछ भी हो।
 - इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि **'बाय नाउ पे लेटर' (BNPL)** मॉडल के माध्यम से ऋण देने की भी CIC को सूचना दी जानी चाहिये।

आरबीआई के नए दायरे में आने वाले घटक:

- नए मानदंडों की घोषणा करते हुए, **आरबीआई ने डजिटल उधारदाताओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया।**
 - आरबीआई द्वारा वनियमिती संस्थाएँ और ऋण कारोबार करने की अनुमति प्रदान करते हैं।
 - ये संस्थाएँ अन्य वैधानिक या नयामक प्रावधानों के अनुसार उधार देने के लिये अधिकृत हैं लेकिन आरबीआई द्वारा वनियमिती नहीं हैं।
 - किसी वैधानिक या नयामक प्रावधानों के दायरे से बाहर उधार देने वाली संस्थाएँ।
- केंद्रीय बैंक का नयामक ढाँचा वभिन्न अनुमेय ऋण सुविधा सेवाओं का वसितार करने के लिये वनियमिती संस्थाओं और उनके द्वारा लगे LSPs के डजिटल उधार पारस्थितिकी तंत्र पर केंद्रित है।
 - हालाँकि **अन्य श्रेणियों के ऋणदाता नए दिशानर्देशों के तहत नहीं आते हैं** और कार्य समूह की सफारिशों के आधार पर डजिटल ऋण पर उचित नयिम और वनियम तैयार करने पर वचिर कर सकते हैं।

ऐसे दिशा-नर्देशों की आवश्यकता:

- तकनीकी नवाचार के आगमन के साथ, **डजिटल उधार पारस्थितिकी तंत्र** में अत्यधिक विकास हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप **कई फनिटेक फर्म साख सेवाओं का वसितार कर रही हैं।**
- हालाँकि इस वृद्धि ने ग्राहकों को गलत बकिरी, डजिटल उधारदाताओं द्वारा अनैतिक व्यापार आचरण और तीसरे पक्ष की **अत्यधिक व्यस्तता, एवं उधारकर्त्ता की डेटा गोपनीयता पर चिंताओं** को जन्म दिया है।
- उपभोक्ताओं द्वारा कई शिकायतें भी की गई हैं कि डजिटल ऋण देने वाले ऐप अत्यधिक ब्याज दर वसूल रहे हैं या वे धोखाधड़ी कर रहे हैं।

आगे की राह

- भारत एक डजिटल ऋण महत्वपूर्ण स्थिति में है इसलिये यह सुनिश्चित करके इसके परिणामों को बेहतर बनाना चाहिये।
- डजिटल ऋणदाताओं को सक्रिय रूप से एक आचार संहिता वकिसति और प्रतबिद्ध करनी चाहिये जो प्रकटीकरण और शिकायत नविवरण के स्पष्ट मानकों के साथ एकनषिठता, पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण के सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करती है।
- तकनीकी सुरक्षा उपायों को स्थापित करने के अलावा, डजिटल उधार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये ग्राहकों को शक्ति और प्रशक्ति करना भी महत्वपूर्ण है।

स्रोत: द हट्टि